"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13-अ]　　　　रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 जनवरी 2012—माघ 11, शक 1933

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-210/गृह-सी/2011.—शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का सं. 19) की धारा 2 के खण्ड 8 के उपखण्ड (ग) तथा (घ) सहपठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. एस. ओ. 1285, दिनांक 04 मई, 1963 तथा मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 28) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, एतद्द्वारा, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर आई.आर.डी., मंदिर हसौद, रायपुर, छत्तीसगढ़ को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस आधार पर "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती है कि उसके संबंध में जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या उसके साथ हस्तक्षेप शत्रु के लिये उपयोगी होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2012

क्रमांक एफ-4-210/गृह-सी/2011.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 31-01-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

Raipur, the 31st January 2012

NOTIFICATION

No. F-4-210/Home-C/2011.—In exercise of the powers conferred by Sub-clause (c) and (d) of clause 8 of Section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (No. 19 of 1923), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 1285, dated the 4th May, 1963 and Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the Government of Chhattisgarh, hereby, declares the Hindustan Petroleum Corporation Limited, Raipur I.R.D., Mandir Hasaud, Raipur, Chhattisgarh to be a "PROHIBITED PLACE" for the purposes of the said Act on the ground that information with respect thereto, or the destruction or obstruction, thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. N. UPADHYAY, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.